# अनुदान संख्या 59 - सूचना और प्रसारण मंत्रालय
# GRANT No. 59 – MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

| | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्व :** | **Revenue:** | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged -* | | *3,00* | .. | *- 3,00* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | *3,00* |
| स्वीकृत - | Voted - | | | | |
| मूल | Original | 2269,68,00 | 2269,70,00 | 2063,64,17 | -206,05,83 |
| पूरक | Supplementary | 2,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 185,07,24 |
| **पूंजीगत :** | **Capital:** | | | | |
| स्वीकृत - | Voted - | | | | |
| मूल | Original | 334,54,00 | 523,64,00 | 494,67,39 | -28,96,61 |
| पूरक | Supplementary | 189,10,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 4,14,85 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹3.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और इसे अंतत: अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹3.00 lakhs* remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

| | | | कुल अनुदान<br>Total grant | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत-<br>Saving - |
|---|---|---|---|---|---|

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2251" | Major Head "2251" | | | | |
| सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | Secretariat – Social Services | | | | |
| मू. | O. | 5505.00 | 5487.99 | 5349.57 | -138.42 |
| पु. | R. | -17.01 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2205" | Major Head "2205" | | | | |
| कला और संस्कृति | Art and Culture | | | | |
| मू. | O. | 700.00 | 717.30 | 588.21 | -129.09 |
| पु. | R. | 17.30 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2220" | Major Head "2220" | | | | |
| सूचना और प्रचार | Information and Publicity | | | | |
| मू. | O. | 42237.00 | | | |
| पू. | S. | 2.00 | 43634.47 | 42603.39 | -1031.08 |
| पु. | R. | 1395.47 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2221" | Major Head "2221" | | | | |
| प्रसारण | Broadcasting | | | | |
| मू. | O. | 175714.00 | 158623.00 | 157823.00 | -800.00 |
| पु. | R. | -17091.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 2812.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -2812.00 | | | |

(I) ₹2917.00 लाख का प्रावधान दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹2750.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "गीत और नाटक सेवाएं - गीत और नाटक प्रभाग" - ₹150.00 लाख;

(खा) "अन्य (सूचना और प्रचार) - प्रेस सूचना ब्यूरो" - ₹200.00 लाख; और

(गा) "सामान्य (प्रसारण) - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती" - ₹2400.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2251" - "सचिवालय - सूचना और प्रसारण मंत्रालय" के अंतर्गत ₹372.65 लाख की बचत (₹3914.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लघु निर्माण कार्य और आईटी (ओई) में प्रस्तावों का मूर्त रूप न लेने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2205" - "सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों का प्रमाणीकरण - केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड" के अंतर्गत ₹101.67 लाख की बचत (₹680.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, चिकित्सा दावे और प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2220" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "फिल्में - फिल्मों का निर्माण - फिल्म प्रभाग" - ₹565.89 लाख की बचत (अगस्त, 2010 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4361.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हाउस प्रोडक्शन में कमी आने, जारी किए गए प्रिंटों की कम संख्या होने और सिनेमा प्रदर्शकों को अनुमोदित फिल्मों की पूर्ति में कमी किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹2917.00 lakhs remained wholly unutilised under ten heads; of these ₹2750.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" – under the following heads:-

(A) "Song and Drama Services – Song and Drama Division" – ₹150.00 lakhs;

(B) "Others (Information and Publicity) – Press Information Bureau" – ₹200.00 lakhs; and

(C) "General (Broadcasting) – Grants to Prasar Bharati – Prasar Bharati" –₹2400.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2251" – "Secretariat - Ministry of Information and Broadcasting" - saving of ₹372.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3914.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals in Minor Works and IT (OE) and austerity measures.

(III) Under Major Head "2205" – "Certification of Cinematographic Films for Public Exhibition - Central Board of Film Certification" - saving of ₹101.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹680.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims and less number of applications for certification.

(IV) Under Major Head "2220" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Films – Production of Films – Films Division" – saving of ₹565.89 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4361.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2010) was due to reduction in house production, less number of prints released and reduction in supply of approved films to cinema exhibitors.

(खा) ''अन्य'' -

(क) ''प्रेस सूचना सेवाएं - प्रेस सूचना ब्यूरो'' - ₹1217.98 लाख की बचत (₹7138.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और अन्य देशों से प्रतिक्रिया प्राप्त न होने की वजह से कम विदेशी/घरेलू यात्रा किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''फोटो सेवाएं - फोटो प्रभाग''- ₹196.94 लाख की बचत (₹608.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चित्रों के डिजीटलाइजेशन संबंधी अपेक्षित पुस्तक कार्य उपलब्ध न होने और महत्वपूर्ण अभिलेखागार चित्रों की विशेष प्रदर्शनी न लगाए जाने के कारण हुई।

(ग) ''रोजगार समाचार - रोजगार समाचार सेवाएं''- ₹285.93 लाख की बचत (₹2852.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुद्रण प्रभारों/अखबारी कागज की लागत में कमी आने के कारण हुईं।

(घ) ''निगरानी सेवाएं - इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र (पूर्व सीएमसी)'' - ₹250.61 लाख की बचत (₹628.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)स्कीम का अंतरण योजनागत पूंजी को किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2221'' - ''सामान्य - प्रसार भारती को अनुदान - प्रसार भारती'' के अंतर्गत ₹17887.00 लाख की बचत (₹175710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय के अनुपालन में योजनागत पूंजी के अंतर्गत राष्ट्रमंडल खेलों के कुल आबंटन का 50% प्रसार भारती को पुन: आबंटन किए जाने के कारण हुई।

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹144.14 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत और 85 प्रतिशत थीं।

(B) "Others" –

(a) "Press Information Services – Press Information Bureau" – saving of ₹1217.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7138.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards International Film Festival of India and less foreign/ domestic travel undertaken owing to non-receipt of response from other countries.

(b) "Photo Services – Photo Division" – saving of ₹196.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹608.00 lakhs) was due to non-availability of required book work relating to digitalization of images and non-holding of special exhibition for important archival images.

(c) "Employment News – Employment News Services" – saving of ₹285.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2852.00 lakhs) was due to decrease in charges of printing/cost of news-print.

(d) "Monitoring Services - Electronic Media Monitoring Centre (erstwhile CMS)" – saving of ₹250.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹628.00 lakhs) was due to transfer of scheme to Plan Capital.

(V) Under Major Head "2221" – "General – Grants to Prasar Bharati – Prasar Bharati" – saving of ₹17887.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹175710.00 lakhs) was due to re-allocation of 50% of total allocation of Commonwealth Games to Prasar Bharati under Plan Capital in compliance with decision of Cabinet Committee on Economic Affairs.

(VI) Under two heads savings of ₹144.14 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 27 percent and 85 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹66.80 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "2220"- "अन्य - प्रेस सूचना सेवाएं - अन्य मदें" के अंतर्गत मार्च, 2011 में ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" - "अन्य व्यय - राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा विभिन्न भाषाओं में फिल्म निर्माण" - ₹499.00 लाख का अधिक व्यय (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन से चार फिल्मों के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2220" -

(क) "फिल्में - अन्य व्यय"-

(i) "भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार" - ₹500.16 लाख का अधिक व्यय (₹815.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिजली और सुरक्षा सेवा बिलों में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ii) "फिल्म समारोह निदेशालय" - ₹126.20 लाख का अधिक व्यय (₹1242.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लेखन सामग्री मदों के मूल्य में वृद्धि होने, कार्मिकों के ज्यादा घरेलू दौरे होने और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के उन्नयन पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट लागू किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य"-

(i) "विज्ञापन और दृश्य प्रचार - विज्ञापन और दृश्य प्रचार निर्देशालय" - ₹931.72 लाख का अधिक व्यय (₹10678.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)पैनल में रखे प्रकाशनों की संख्या में वृद्धि होने, समाचार पत्रों के मूल्य में वृद्धि होने, राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा होने, पैकिंग सामग्री की

3.(I) The above savings were partly (₹66.80 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in March, 2011 under Major Head "2220" – "Others - Press Information Services – Other Items".

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2251" – "Other Expenditure – Film Production in various languages by NFDC"- excess of ₹499.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards production of four films with the approval of Standing Finance Committee.

(B) Major Head "2220"-

(a) "Films – Other Expenditure" –

(i) "National Film Archive of India" – excess of ₹500.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹815.00 lakhs) was due to increase in electricity and security service bills.

(ii) "Directorate of Film Festivals" – excess of ₹126.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1242.00 lakhs) was due to increase in price of stationery items, more domestic tour of officials and implementation of Expert Committee's report on upgradation of National Film Awards.

(b) "Others"-

(i) "Advertising and Visual Publicity – Directorate of Advertising and Visual Publicity" – excess of ₹931.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10678.00 lakhs) was due to increase in number of empanelled publications, enhancement in rate of news papers,

लागत और कैलेंडर के वितरण व्यय में वृद्धि होने के कारण हुआ।

announcement of fiscal stimulus package, increase in cost of packing material and distribution expenses of calendar.

(ii) ''क्षेत्र प्रचार - क्षेत्र प्रचार निदेशालय'' - ₹397.41 लाख का अधिक व्यय (₹3617.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ii) "Field Publicity – Directorate of Field Publicity" – excess of ₹397.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3617.00 lakhs); and

(iii) ''गीत और नाटक सेवाएं - गीत और नाटक प्रभाग'' - ₹280.62 लाख का अधिक व्यय (₹2496.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(iii) "Song and Drama Services – Song and Drama Division" – excess of ₹ 280.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2496.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय छठे केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू किए जाने की वजह से वेतन और भत्तों में वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards increase in pay and allowance owing to implementation of 6th Central Pay Commission Report.

(iv) ''प्रकाशन - प्रकाशन प्रभाग'' - ₹233.90 लाख का अधिक व्यय (₹2114.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की खरीद किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने, भवनों के रख रखाव के लिए सिविल निर्माण स्कंध को अदायगी किए जाने, योजना, बाल भारती के मुद्रण आदेशों में वृद्धि होने और पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में ज्यादा सहभागिता होने के कारण हुआ।

(iv) "Publications – Publications Division" – excess of ₹233.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2114.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards purchase of books for library, payment of Civil Construction Wing for maintenance of buildings, increase in print orders of Yojana, Bal Bharati and more participation in book fairs and exhibition.

(v) ''अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग - संप्रेषण विकास के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अंशदान'' - ₹234.00 लाख का अधिक व्यय (₹16.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संप्रेषण विकास के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए एक बार के विशेष अंशदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(v) "International Co-operation – Contribution to International Programme for the Development of Communications"- excess of ₹234.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards one time special contribution for international programme for the development of communications.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹2896.61 लाख) नवंबर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए

4. In the capital section of the grant, the overall savings (₹2896.61 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹18910.00

₹18910.00 लाख की पूरक अनुदानों का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत थीं।

lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 and 6 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4220" सूचना और प्रचार पर पूंजीगत व्यय | Major Head"4220" Capital Outlay on Information and Publicity | | | | |
| मू. | O. | 6556.00 | | | |
| पू. | S. | 1766.00 | 7957.15 | 7875.39 | -81.76 |
| पु. | R. | – 364.85 | | | |
| मुख्य शीर्ष "6221" प्रसारण के लिए कर्ज | Major Head "6221" Loans for Broadcasting | | | | |
| मू. | O. | 22748.00 | | | |
| पू. | S. | 16216.00 | 43992.00 | 41592.00 | -2400.00 |
| पु. | R. | 5028.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज | Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 4100.00 | | | |
| पू. | S. | 928.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -5028.00 | | | |

(I) ₹5079.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹5028.00 लाख (₹928.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) अकेले मुख्य शीर्ष "6552" - "प्रसारण के लिए कर्ज - प्रसार भारती को कर्ज - प्रसार भारती" के

(I) Provision of ₹5079.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹5028.00 lakhs (including supplementary grant of ₹928.00 lakhs) alone accounted for under Major

अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "4220" - "अन्य - निगरानी सेवाएं - इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केंद्र" के अंतर्गत ₹218.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने, ईएमएमसी की निगरानी क्षमता का संवर्धन 150 टेलीविजन चैनलों से 300 चैनल किए जाने संबंधी कार्य पूरा न होने के कारण ₹34.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रही।

(III) मुख्य शीर्ष "4220" - "अन्य - मशीनरी और उपस्कर- क्षेत्र प्रचार निदेशालय के लिए उपस्कर की अधिप्राप्ति" के अंतर्गत ₹401.51 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय से 90 वाहनों की खरीद के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6221" - "प्रसार भारती को कर्ज - प्रसार भारती" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹2628.00 लाख का अधिक व्यय (₹16216.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹38964.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "6552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Head "6552" – "Loans for Broadcasting - Loans to Prasar Bharati – Prasar Bharati" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4220" – "Others – Monitoring Services – Electronic Media Monitoring Centre" – funds of ₹218.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹34.00 lakhs – due to non-filling up of vacant posts, non-completion of work related to augmentation of monitoring capacity of EMMC from 150 TV channels to 300 channels.

(III) Under Major Head "4220" –"Others – Machinery and Equipment – Acquisition of Equipment for Directorate of Field Publicity" – saving of ₹401.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs) was due to non-receipt of sanction for purchase of 90 vehicles from the Ministry of Finance.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "6221" – "Loans to Prasar Bharati – Prasar Bharati" – excess of ₹2628.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹38964.00 lakhs including supplementary grant of ₹16216.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.